10 2
26

वादीया की ओर से प्रस्तुत तर्क
आपत्ति कागज जिसका तलाशी
पेश होने पर पंचायत सचिव की
ओर पेश हुई आपत्ति वादी
ने खंडन किया कि वादीया व
प्रतिवादीगण के मध्य आपसी
समझौता हो गया है जिसमें वादीया
उस रास्ते पर आगे गाड़ी चलाना
चाहती है अतः पंचायत अभी
विड्रा करने की अनुमति प्रदान
कर खारीज किया जाने के आदेश
फरमावे।

पंचायत का अवलोकन किया गया
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आपत्ति से
अवगत स्पष्ट है कि वादीया पंचायत
से आगे कच्ची पगडंडी गाड़ी चाहती है
अतः पंचायत इसी स्थल पर खारीज
की गयी है पंचायत प्रार्थना शुद्ध होने
तक स्थगित की जाकर कार्यवाही चालू
है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)